

1388

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/टेली/6(3)/5

नई दिल्ली दिनांक 05/11.04.2013

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें।

टेलीकॉम परिपत्र सं. 09/2013

विषय: वर्ष 2012-13 के लिए आरसीआईएल को देय आनुपातिक फाइबर
अनुरक्षण प्रभार।

रेलों द्वारा रेलटेल को वर्ष 2012-13 के लिए फाइबर की प्रति जोड़ी प्रति माह प्रति
किमी. 103/- रु (एक सौ तीन रुपए मात्र) और सेवा कर की दर से देय आनुपातिक
फाइबर अनुरक्षण प्रभारों के भुगतान के लिए रेल मंत्रालय का अनुमोदन एतद्वारा
संसूचित किया जाता है। टेलीकॉम परिपत्र सं. 13/2012, जिसमें अनुरक्षण प्रभारों के
भुगतान के लिए प्रक्रिया दी गई है, का पालन किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

राकेश

(राकेश रंजन)

निदेशक (दूरसंचार)

रेलवे बोर्ड

सं. 2011/टेली/6(3)/5

नई दिल्ली दिनांक 05/11.04.2013

- (i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
- (ii) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/निर्माण, सभी भारतीय रेलें।
- (iii) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224,
रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

